उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

05/04/2021

पत्रावली पेश की वकील पार्टी उर्फ। अपार्टी मौजूद। बापस्ट, तामील हाजिर नहीं अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आगे की जाती है। वाद पत्र के मूल पर, तावज्जी पत्रावली का अवलोकन करने एवं वाद पत्र का मनन करने के पश्चात पाते हैं कि प्रार्थी का सही नाम गिरधारी लाल सैनी पुत्र भगवानाराम सैनी है तथा गिरधारी तथा गिरधारी दो अलग-2 व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० 136 L.R.A स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उदयपुरवाटी के उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा 1516, 1517, 1519, 1520 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गिरधारी पुत्र भगवाना के बजाय गिरधारीलाल सैनी पुत्र भगवानाराम दुरुस्त/शुद्ध किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करे। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार नम्बर नम्बर से अलग दर्ज व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner